तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामि[illegible] में जारी हुए
27.4.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल राजपुरोहित, निवासी– सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला–सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (मनसोर मोहम्मद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म Siddhi Vinayak Traders, Near Nagar Parishad office, opp. New Bus stand, Sirohi, तथा प्रतिवादी संख्या–3 (मोहित शिरिषकुमार पटेल, एफ.बी.ओ. एवं निर्माता, फर्म Shree Bhagwati flour and foods Private Limited, Add. At. Surv. No. 430 Paiki, Sarkhej-Bavla Highway Road, Village-Morariya, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujrat) के वकील श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.2022 को फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरिोही, जिला– सिरोही में प्रतिवादी संख्या–1 (भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल राजपुरोहित, निवासी– सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1872 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1659/Act/2022/1661 दिनांक 30.9.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.4.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 क्रमशः भंवरलाल व मनसोर मोहम्मद इस न्यायालय में उपस्थित हयु। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः भंवरलाल व मनसोर मोहम्मद स्वयं ने एवं प्रतिवादी संख्या–3 मोहित शिरिष कुमार पटेल की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रक[illegible] किया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता [illegible] 26.4.2022 को ही बहस सुनी गई [illegible] के दौरान यह व्यक्त [illegible] की भावना से प्रेरित हो[illegible] किया है, यह ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रतिवादीगण का प्रथम अपराध है। प्रतिवादीगण ने अपनी गलती सुधार ली है एवं अब मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेंगे। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.9.2022 को समय 1.30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल राजपुरोहित, निवासी– सदर बाजार, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में आलमारी की रेक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) प्रतिवादी भंवरलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1872, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेट पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1872 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् च[illegible] सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया [illegible] रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रे[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर है। त[illegible] अधिकारी ने [illegible]....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तॉमिलमें जारी हुए

कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.9.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 20.9.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता भंवरलाल से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1872 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1659/Act/2022/1661 दिनांक 30.9.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल राजपुरोहित की फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) को फर्म सिद्धी विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद कार्यालय के पास, नये बस स्टेण्ड के सामने, सिरोही से जरिये बिल नम्बर SOV 3189 दिनांक 13.9.2022 से क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी मनसोर मोहम्मद की फर्म है एवं प्रतिवादी मनसोर मोहम्मद की फर्म सिद्धि विनायक ट्रेडर्स, नगर परिषद् कार्यालय के पास, नये बस स्टेण्ड के पास, सिरोही की फर्म द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) को फर्म Shree Bhagwati flour and foods Private L[illegible] Add. At. Surv. No. 430 Paiki, Sarkhej-Bav[illegible] High[illegible]y Road, Village-Morariya, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujrat) से जरिये बिल [illegible] 009380 दिनांक 09.9.2022 के द्वारा क्रय किये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 [illegible] विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.58/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल राजपुरोहित, निवासी– सदर बाजार, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म ओमकार स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (रुपये एक हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी मनसोर मोहम्मद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म Siddhi Vinayak Traders, Near Nagar Parishad office, opp. New Bus stand, Sirohi पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (गाय ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मोहित शिरिषकुमार पटेल, एफ.बी.ओ. एवं निर्माता, फर्म Shree Bhagwati flour and foods Private Limited, Add. At. Surv. No. 430 Paiki, Sarkhej-Bavla Highway Road, Village-Morariya, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujrat पर राशि रुपये 15,000/– (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.6.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:48 IST
Reason: SelfAttested